निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 668) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

उद्योग विभाग

अधिसूचना

26 मई 2015

सं0 1/उ०नि० नियमावली–03/2013–2043––भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उद्योग विभाग के उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्वर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–** (1) यह नियमावली ''बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्वर्ग नियमावली 2015'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह उद्योग निदेशालय/सभी जिला उद्योग केन्द्रों के लिए प्रभावी होगी।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ ।–** जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) '' सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ,

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है उद्योग निदेशक, बिहार ,

(ग) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है उद्योग निदेशक, बिहार ,

(ध) ''विभाग'' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग, बिहार ,

(ड) ''आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तथा ,

(च) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय/ जिला उद्योग केन्द्रों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी का संवर्ग।

3. **संवर्ग का गठन ।–** (1) इस संवर्ग में उद्योग विस्तार पदाधिकारी का पद होगा।

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर नियमित रूप से पहले से नियुक्त व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. **प्राधिकृत बल ।–** सम्वर्ग का प्राधिकृत बल वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर विनिश्चित किया जायेगा।

5. **नियुक्ति ।–** (1) उद्योग विस्तार पदाधिकारी की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए, समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

(3) उद्योग विस्तार पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा में कोई छूट, सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में होगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 ली अप्रैल के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना की जायेगी तथा 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी। परीक्षा का आयोजन, आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा फीस, आवेदन का प्रपत्र एवं अन्य बातें आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से विनिश्चित की जायेगी। आयोग, अम्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर, एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा।

6. **परिवीक्षा**– नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो ऐसे कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

7. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में कर्मियों को ऐसे प्रशिक्षण में जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर विनिश्चित की जाय, भाग लेना अनिवार्य होगा।

8. **सेवा की संपुष्टि।**– उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद पर नियुक्त कोई कर्मी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण पूरा करने तथा कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण में सक्षमता की जांच में उतीर्ण होने के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा। हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता की जांच परीक्षा में उतीर्ण होने के पश्चात् ही वेतनवृद्वि अनुमान्य होगी। उपर्युक्त कोटि की सभी जाँच परीक्षाओं का आयोजन नियमानुसार राजस्व पर्षद/राजभाषा विभाग/राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। कम्प्यूटर सक्षमता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, इस संबंध में निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. **वरीयता।**– नव नियुक्त उद्योग विस्तार पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता, आयोग द्वारा विनिश्चित योग्यता–सह– मेधा सूची के आधार पर तैयार की जायेगी। इस नियमावली के निर्गत होने के पूर्व से उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

10. **आरक्षण।**– सेवा संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

11. **अवशिष्ट मामलें।**– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

12. **निर्वचन।**– इस नियमावली के प्रावधानों का निर्वचन करने के लिए विभाग, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सक्षम होगा और यह अंतिम होगा।

13. **निरसन एवं व्यावृति।**– (1) इस संवर्ग से संबंधित प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि के अधीन किया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया या की गयी समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस जिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
त्रिपुरारि शरण,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 26th May 2015

No. 1/उ०नि० (नियमावली) 03/2013–2043—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment, promotion and other service conditions of the Industries Extension Officer Cadre in The Industries Directorate/ The District Industries Centre of the Industries Department:-

1. **Short title, extent and commencement** - (1) These rules may be called "Bihar Industries Extension Officer Cadre Rules-2015".

(2) It shall extend to the whole of Bihar State. It shall be effective for Industries Directorate/ all District Industries Centers.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2**. Definitions** - In these Rules, unless other wise requires in the subject or context,

(a) "Government" means Bihar Government;

(b) "Appointing Authority" means Director of Industries, Bihar,

(c) "Cadre Controlling Authority" means Director Of Industries, Bihar,

(d) "Department" means Department Of Industries, Bihar,

(e) "Commission" means The Staff Selecation Commission, and

(f) "Cadre" means the cadre of Industries Extension Officers of the Industries Directorate/ District Industries Centres of the State Government.

3. **Constitution of the Cadre** - (1) In this cadre there shall be post of Industries Extension Officer.

(2) The persons already appointed regularly on the post of Industries Extension Officers before the commencement of the Cadre Rules, will be deemed to be included automatically in this cadre.

4. **Authorised strength** - The authorised strength of the cadre shall be the same as may be determined, by the State Government, from time to time.

5. **Recruitment** - (1) The recruitment of the Industries Extension Officers shall be made by direct recruitment on the recommendation of the Commission.

(2) The minimum age limit for the recruitment shall be 21 years and the maximum age limit shall be such as may be determined by the State Government (General Administrative Department) for entry in the government service, from time to time.

(3) The minimum educational qualification for direct recruitment to Industries Extension Officers shall be graduate with minimum 45% Marks in any of the subjects i.e Commerce/ Economics/ Mathematics/ Statistics from any recognized university. Any relaxation in minimum marks limit for SC/ST candiates will be in view of circulars issued by the Goverment, from time to time.

(4) Calculate the vacancies on the basis of actual vacancies occurring as on 1st April will be made by The appointing authority and the requisition of reservation category wise vacancies will be sent to the Commission upto 30st April. Conducting examination, process of application, examination fees, formats of the application and other matters shall be determined by the Commission in consultation with The Department. On the basis of the marks obtained in the written examination by the candidates, The Commission will prepare a merit list and send its recommendations to the Appointing Authority.

6. **Probation** - The appointment shall the made on probation. Probation period shall be of two years. If the service and conduct of the appointed person shall not be satisfactory then his probation period may be extended upto one year. If the service and conduct of the appointed employee is not found satisfactory even during the extended period then the service of such employee may be terminated.

7. **Training** - During probation period, it will be essential for The employees to participate in such training programmes as may be determined by the State Government, from time to time.

8. **Confirmation of services** - Any employee appointed to the post of Industries Extension Officers may be confirmed by the Appointing Authority only after satisfactory completion of probation period, passing in the Hindi Noting and Drafting Examination, completion of the training determined by the State Government and passing the examination for determining capability of operating computer and typing. Increment will be admissible only after passing of Hindi Noting and Drafting Examination and the examination for determining capability of operating Computer and typing. All the above mentioned eligibility test will be conducted by The Board of Revenue/The Rajbhasa Vibhag/ Other institutions determined by the State Government in accordance with rules. Exemption from passing the Eligibility Test in computer or Computer Eligibility Test will be given in view

of the circulars issued by the General Administration Department, from time to time in this regard.

9. **Seniority** - The inter-se-seniority of the newly appointed Industries Extension Officers shall be prepared on the basis of the eligibility -cum-merit list decided by the Commission. Inter-se-seniority of the personnel regulary appointed before issuance of these Rules, as The Industries Extension Officers will remain as usual.

10. **Reservation** - In appointment/ promotion in the service cadre, the provisions of reservation/ roaster, determined by the government, from time to time, shall apply.

11. **Remaining Matters** :- For those matters for which no provision has been made in these Rules, the relevant provisions of the Code/ Rules/ Resolution/ Instruction of the State Government shall to applicable.

12. **Interpretation** - The department shall be competent to interpret the provisions of these Rules after consultation with The Law Department and it shall be final.

13. **Repeal and Savings** - (1) The relevant resolutions/circulars/instructions etc. relating to this Cadre are here by repealed.

2. Not with standing such repeal any thing done or any action taken under the said resolation/circulars/ instructions etc shall be deemed to be made or taken under these rules as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
TRIPURARI SHARAN,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 668-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in